## राजस्थान सरकार वित्त विभाग (सामान्य वित्तीय एवं लेखा नियम अनुमाग)

क्रमांक : प. 1(4) वित्त / साविलेनि / 2006

जयपुर, दिनांक : 15.02-2016

## आदेश

## विषय : सामान्य वित्तीय एवं लेखा नियमों के खण्ड-। के भाग-। में संशोधन बाबत ।

राज्यपाल महोदय सामान्य वित्तीय एवं लेखा नियमों के खण्ड-। के भाग-। में निम्न प्रकार संशोधन करने के आदेश एतदद्वारा प्रदान करते हैं :--

- After the existing clause (xxxiii) of Rule 2, the following new clause (xxxiv) shall be 1. inserted as under -
  - "(xxxiv) 'E-Auction': An auction between any competent government entity (as the auctioneer) and bidders, which takes place on an electronic platform."
- The existing clause (d) of sub-rule (4) of Rule 225 shall be substituted as under -2.
  - Repairs and maintenance of Motor Vehicles shall be got done from the State Motor Garages located in Rajasthan or in departmental workshop or from the authorised dealers, in case there are no authorised dealers repairs and maintenance will be done from established mechanics having well equipped workshops through bid/tenders as per provisions of Rajasthan Transparency in Public Procurement Act and Rules. Preference should be given to State Motor Garage/Departmental workshop."

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ, आवश्यक कार्यवाही एवं अपने अधीनस्थ कार्यालयों को सूचित करने हेतु प्रेषित है :-

- 1. निजी सचिव, राज्यपाल / मुख्यमंत्री / समस्त मंत्रीगण / राज्य मंत्रीगण ।
- 2. निजी सचिव, मुख्य सचिव/अति. मुख्य सचिव/समस्त प्रमुख शासन सचिव/समस्त शासन सचिव/समस्त विशिष्ट
- सचिव, राजस्थान विधान सभा, राजस्थान, जयपुर । 4. सचिव, लोकायुक्त सचिवालय, राजस्थान, जयपुर ।
- 5. सचिव, राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर 📗 6. समस्त उप शासन सचिव/सचिवालय के समस्त अनुभाग/विभाग।
- 7. प्रधान महालेखाकार (सिविल लेखा परीक्षा) राजस्थान, जयपुर ।
- महालेखाकार (प्राप्ति एवं वाणिज्यिक लेखां परीक्षा) / (ए एण्ड ई) राजस्थान, जयपुर ।
- 9. समस्त विभागाध्यक्ष / जिला कलक्टर / संभागीय आयुक्त ।
- 10. निर्देशक, कोष एवं लेखा विभाग, राजस्थान, जयपुर । 11. पंजीयक, राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर / जयपुर ।
- 12. समस्त कोषाधिकारी 13. कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग(कोडीफिकेशन) अतिरिक्त प्रति सहित ।
- 14. पंजीयक, राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपूर ।
- 15. अतिरिक्त निदेशक, वित्त विभाग को भेजकर लेख है कि वित्त (समन्वय) विभाग के आदेश संख्या प.17 (1) वित्त (समन्वय) /04 दिनांक 22.6.2004 के कम में इस परिपन्न को विता विभाग की वेबसाइट पर प्रकाशित करवाने की व्यवस्था करावें।

GFBAR-01/2016